

संक्षिप्त

स्कूल के मुख्य द्वार का उद्घाटन

बहरोड-नीमराना, (निर्स)। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित रामसिंहपुरा पंचायत के गांव मावडी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण मावडी के ही अनिल कुमार पुत्र उमराव सिंह यादव ने अपनी माताजी की यादगार में करवाकर सामाजिक सहयोग की मिसाल देते हुए निर्माण कराया इस कार्यक्रम में सुरेंद्र, गोविन्द, नरेश, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सुशांत, मोहित, राजेश, संदीप, हेमराज, संगीत व सभी टामबासी और विद्यालय के प्रधानाध्यापक जसवंत सिंह यादव, अध्यापिका किरण, एकता व मंजू बाला आदि लोग मौजूद रहे।

हरित राजस्थान कार्यक्रम का आगाज

चाकसु, (निर्स)। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान सहाय मीणा द्वारा यहाँ गुरुवार को ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में वृक्षारोपण कर हरित राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अशोक तंवर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कनिष्ठ अभियंता अवधेश शर्मा चिरंजी लाल बैरवा तथा कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। मीणा द्वारा ब्लॉक के समस्त विद्यालय में वृक्षारोपण करवाने का संकल्प लिया गया और पर्यावरण संरक्षण तथा हरित राजस्थान कार्यक्रम में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाने का वचन दिया।

सुरपुरा गौशाला में लगाए पौधे

बोराज, (निर्स)। कस्बे में बाज्या की ढाणी शिव मंदिर एवं तेजाजी मंदिर परिसर में गुरुवार को हरियाली अमावस्या के अवसर पर समाजसेवी देवीलाल बाज्या के नेतृत्व में विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर रूनागराण, हनुमान लाल, रामेश्वर बाज्या, राजू चौधरी ने पौधारोपण में सहयोग कर सर संधाल की जिम्मेदारी ली। वहीं सुरपुरा गौशाला परिसर में गौशाला संरक्षक पूर्व सरपंच प्रेमचंद टेलर, समाजसेवी जगदीश यादव व गौशाला सचिव ने सुरपुरा गौशाला परिसर में कदम्ब का पेड़ लगाया। इस अवसर पर गौशाला संरक्षक टेलर ने कहा मनुष्य को अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए।

हनुमंत कथा के लिए गणेशजी को निमंत्रण

चाकसु, (निर्स)। कस्बा स्थित श्री गोपीनाथ मंदिर में आगामी 16 दिसंबर को होने वाली पांच दिवसीय हनुमंत कथा के लिए श्री गोपीनाथ मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रथम पूज्य गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। अध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं मंत्री राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि पंडित राम प्रसाद शर्मा द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कथा के आयोजन के लिए गणेश जी को निमंत्रण दिया गया है। इस मौके पर कैलाश शर्मा डॉक्टर मुकेश दीक्षित महेश शर्मा दिनेश शर्मा ओम शंकर गोस्वामी आदि मौजूद रहे।

शिविर में हुए हाथों हाथ काम

खैरथल, (निर्स)। प्रशासन शहरों के संग शिविर में गुरुवार को हाथों-हाथ काम होने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पालिका के सभागार में आयोजित शिविर में दस पेट्टे वितरित करने के साथ कृषि भूमि नियमितकरण के चार व नाम हस्तांतरण के छः पत्रावलिओं का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त पालिका से संबंधित निरंतर किए जाने वाले मामलों में हाथों-हाथ निपटा कर राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को इसी स्थान पर वार्ड संख्या 12, 130 व 14 के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा।

रेवेन्यू बोर्ड ने दो माह में मामले के निस्तारण के आदेश दिये

कोटपतली, (निर्स)। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत शुक्लावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की करीब 12 बीघा भूमि को खुर्द-बुर्द किये जाने के मामले में रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने आरएए, जयपुर के निर्णय को अपस्त करते हुए मामले में एसडीएम न्यायालय कोटपतली द्वारा दिये गये स्थान आदेश को सही मानते हुए सम्पूर्ण मामले को दो माह में निस्तारित किये जाने के आदेश दिये हैं। समाजसेवी राधेश्याम शुक्लावास ने बताया कि दस्तावेजों में उक्त भूमि का बिक्रान होता रहा लेकिन मौके पर स्कूल फ्लैट रहे। इस सम्बंध में दिल्ली निवासी योगेश शर्मा ने अपने नाम भूमि का खाता तो खुलवाया लेकिन खेली ना कर बेचान कर दिया। जिसे कथित

खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर, नगदी व गहने चुराये

नारायणपुर, (निर्स)। कस्बे में बीती रात को अलवर-जयपुर बाईपास पर स्थित घर में खिड़की तोड़कर घुसे चोरों ने सोने-चांदी के गहने और नगदी पार कर ले गये।

जानकारी के अनुसार बाईपास पर स्थित कोल्ड स्टोर के पास हंसराज सैनी पुत्र फूलचंद सैनी के गत रात्रि को अज्ञात चोरों ने मकान की पीछे की खिड़की तोड़कर घुसे चोरों ने बक्से में रखे चांदी की पायजेब, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चैन, चांदी के 8 सिक्के सहित 35

हजार रूपये की नगदी पार कर ले गये। जिनकी पहिंड हंसराज सैनी द्वारा करीब डेढ़ लाख रूपये की कीमत बताई जा रही है।

चोरी की घटना के समय परिवारजन अन्य दूसरे कमरे में सो रहा। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का

शिविर में 22 लोगों को पट्टे जारी किये

निवाई, (निर्स)। प्रशासन शहरों के संग अभियां के अन्तर्गत गुरुवार को सिन्धी धर्मशाला में वार्ड 11, 12 व 13 का दो दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कृषि भूमि नियमन, स्टेट पत्र, 69 क, फ्री होल्ड के 22 पट्टों का वितरण किया गया। अधिशाषी अधिकारी महिमा डांगी ने बताया कि इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष दिलीप इसरानी व पार्षदों ने लोगों को पट्टे बांटे। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अब तक शहर में 2600 पट्टे वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि एक व दो अगस्त को वार्ड 14, 15, 16 व 21 के लिए सिन्धी धर्मशाला में शिविर आयोजित किया जाएगा। पालिकाध्यक्ष दिलीप इसरानी ने सभी वार्डवासियों से केम्प में पहुंचकर पट्टा बनवाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर पार्षद संजय वर्मा, मदनलाल वर्मा सहित नगरपालिका कर्मचारी मौजूद रहे।

टोंक में सांसद अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंक विरोध जताया

टोंक, (निर्स)। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध स्तरहीन टिप्पणी से देश संविधान, महिला एवं अनुसूचित जनजाति समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना, जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया, विष्णु शर्मा के आदेशानुसार बुधवार को पटेल सर्किल पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के



पीड़ित ने नारायणपुर पुलिस थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया।

मौका मुआयना किया। वहीं पीडित हंसराज ने नारायणपुर पुलिस थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। इधर गत रात्री को ही बाईपास पर बाबू हलवाई के भी चोरी की घटना का अंजाम देने के लिए चोरों ने मकान के पीछे का जंगले को काट लिया था।

शिविर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रेरित किया

मंडावरी, (निर्स)। नगर पालिका क्षेत्र की शकरपुरिया मालियान ढ णी में गुरुवार को प्रशासन शहरों के संग तृतीय चरण के आयोजित शिविर के दौरान विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मौके पर आने वाले लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रेरित किया गया एवं शिविर में लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। अधिशासी अधिकारी मनम शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को शिविर के दौरान शिविर प्रभारी रमेश चंद शर्मा द्वारा शिविर में आए लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा पट्टा बनाकर उन के भूखंड एवं मकानों के मालिकाना हक तय करने के लिए आव्हान किया गया। वहीं शिविर प्रभारी शर्मा द्वारा अधिमान के दौरान आयोजित किए जा रहे शिविरों के बारे में एवं शिविरों में पट्टा सहित आदि विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने की संक्षिप्त जानकारी वहां मौजूद लोगों को दी गई। शिविर के

दौरान शिविर प्रभारी शर्मा द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मौके पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने की ओर कदम उठाने का आव्हान किया गया एवं प्रति व्यक्ति एक पौधा लगाकर वायुमंडल में बढ ते प्रदूषण को रोकने

के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर के दौरान कार्यवाहक सफाई निरीक्षक रामअवतार मीणा, पालिका कर्मी गजानंद शर्मा, प्रेम प्रकाश शर्मा, रिकू शर्मा, रजनीश मीणा, धीरज शर्मा आदि पालिका कर्मी एवं शहरवासी मौजूद रहे हैं।

में सुनार की दुकान में चोरी, नारायणपुर बाईपास पर चोरी, मुख्य बस स्टैंड पर आगजनी सहित अनेक वारदातों का काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक खुलासा नहीं किया गया। जिससे आपराधियों के होंसले बुलंद है।

गुड़ा स्टेशन से चौसला तक बनेगी नई सड़क

सांभरशौल, (निर्स)। गुड़ा स्टेशन से चौसला तक सड़क की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण पर करीब तीन करोड़ बहतर लाख रूपए खर्च होगा। बताया गया कि इससे पहले कई बार इस क्षिततास्त सड़क मार्ग के लिए पूर्व में खबर प्रकाशित कर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया था।

उप मुख्य सचेतक व नावां विधायक महेंद्र चौधरी को इस समस्या से टामा पंचायत गुड़ा के सरपंच ने भी अवगत करवा कर इसके लिए अनुरोध

किया था। गौरतलब है हर वर्ष बारिश के पानी से कटाव लगकर सड़क टूटकर बह गई थी, सड़क पर जगह जगह गड्डे हो गये थे। गांव को मिली इस सौगात पर सरपंच वीरेंद्र कुमार व ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री व उप मुख्य सचेतक का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में रवीन्द्र सिंघाण, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कहना है कि गुड़ा रेलवे स्टेशन से चौसला तक यह सड़क करीब अठारह फिट चौड़ी होगी। इसमें केंद्र व राज्य दोनों का योगदान होता है।

आयुर्वेद नर्सज ने ज्ञापन सौंपा

टोंक, (निर्स)। राजस्थान आयुष विभागीय नर्सज महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश दाधीच बावडी व टोंक नर्सज जिलाध्यक्ष हंसराज जैन ने अपनी कार्यकारिणी के वरिष्ठ साथियों के साथ उप निदेशक आयुर्वेद टोंक को ज्ञापन सौंपा। जिला महामंत्री हेमराज शर्मा ने बतलाया कि सर्व प्रथम नवनियुक्त डॉ प्यारे लाल मीणा का उप निदेशक आयुर्वेद टोंक का प्रभार सम्हालने पर माला, मुकुट व साफा पहनाकर हार्दिक स्वागत अभिनन्दन किया व मिठाई खिला कर मुंह मीठा करवाया। तत्पश्चात नर्सज की मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। शर्मा के अनुसार ज्ञापन में नव नियुक्त नर्सज की एसएसओ आईडी व अन्य औपचारिकता पूरी कर शीघ्र वेतन दिलाने की मांग रखी। इसके अलावा प्रत्येक नर्सज को जिला कार्मिक जिले का आई डेटी कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही सभी नर्सज को सर्विस बुक का संधारण करवा कर प्रत्येक नर्सज को अवलोकन करवाया जावे। बाद में उप निदेशक मीणा ने तुरन्त मांग पत्र पर कार्यवाही कर शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रामरत्न गुर्जर, सोहन लाल कुशवाहा, नन्द किशोर कुमहार, लाल चन्द बलाई, बन्ना लाल मीणा, रामकिशन मीणा, तारा चन्द यादव, शंकर लाल धाकड़ के अलावा परिचारक महासंघ के अध्यक्ष मुरली शर्मा व लेखराज वर्मा उपस्थित रहे।

सतीश पूनियां ने पोस्टर का विमोचन किया



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने आयोजन की सराहना की।

कोटपतली, (निर्स)। श्री देवनारायण कोटपतली, (निर्स)। श्री देवनारायण के तत्वाधान में प्रतिवर्ष टोंक-निवाई स्थित देवधाम जोधपुरिया के लिए निकाली जाने वाली भगवान देवनारायण ध्वज पदयात्रा के पोस्टर का गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में विमोचन किया। संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर लाल कसाना ने पूनियां को अवगत करवाया कि इस वर्ष 36वें ध्वज पद यात्रा बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ निकाली जायेगी। उल्लेखनीय है कि विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी के चलते पदयात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। इस वर्ष पद यात्रा आगामी 29 अगस्त को जयपुर से प्रस्थान कर 1 सितम्बर को निवाई स्थित श्री देवधाम जोधपुरिया पहुँचेगी। डॉ. पूनियां ने आयोजन की जानकारी लेते हुए सराहना की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री देवनारायण सम्पूर्ण मानव समाज में एकजुटता, लोक समता व भाईचारे के प्रतीक है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर समरसता का संदेश दिया। हम सभी को उनके जीवन से शिक्षा लेकर आदर्श की पालना करनी चाहिये। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष कसाना समेत संरक्षक मोहन लाल बागडी, कोषाध्यक्ष सुरेश चाड, प्रदेश महामंत्री हरिनारायण मणकश आदि मौजूद थे।

DEBITS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR (First Floor, Sudhama, Lal Mohi Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015) Case No.-0A/752/2022 Esh. No:5981

WHEREAS, 0A/752/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 19/07/2022. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 156(1) of the Act. (B) filed against you for recovery of debts of Rs.6815025/- (application along with copies of documents etc. annexed) in accordance with sub-section (4) of section 156 of the Act. You are directed to appear before the Tribunal on the date specified by the applicant under serial number 3A of the original application: (ii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or other assets specified in the application for attachment of properties: (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the application: (v) you shall be liable to account for the proceeds realized by way of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear Registrar on 22/12/2022 at 10:30 A.M failing which the application shall be heard and decided in your absence. Give under my hand and seal of this Tribunal on this date: 21/07/2022

**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**  
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित)  
CIN : L65110TN2014PLC097792  
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैम्पाई-600031  
फोन - +91 44 4564 4000 | फैक्स - +91 44 4564 4022

**परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]**  
**कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति का)**

पूँकि अधोस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आई डी एफ सी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (1)(2) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.04.2021 को एक मांग नोटिस कर्जदारों, सह कर्जदारों, सह जमानतियों 1. रविन्द्र सिंह, 2. दीपिका केंवर को जारी किया गया था, जिसमें 13.04.2021 की तिथि को एक मांग नोटिस उल्लेखित राशि रूपये 1290840.65 (रुपये बारह लाख नब्बे हजार आठ सौ चालीस व पैंस पैस मात्र) का भुगतान उपर्युक्त निश्चित नोटिस प्राप्ती से 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

पूँकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोस्ताक्षरकर्ता को प्रायः शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जुलाई 2022 के 25वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एवढद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सीधा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशि रूपये 1290840.65 (रुपये बारह लाख नब्बे हजार आठ सौ चालीस व पैंस पैस मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सूचित नं.-एस-3, क्षेत्रफल 690.00 वर्ग फिट, दूसरी मंजिल, प्लाट नं. एच-131 एवं 132, मंगल सिटी, ग्राम पीरवासा एवं निवाक, कलवाड़ रोड, 44-सी.एच. रोड, का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमा में है- पूर्व- प्लाट नं. एच-143 एवं एच-44, पश्चिम: रोड 9.14 मीटर, उत्तर: प्लाट-एच-130, दक्षिण- प्लाट नं. एच-1133

दिनांक- 25.07.2022  
स्थान- जयपुर  
ऋण खाता संख्या- 16063454

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड  
(पूर्व नाम कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित)

**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**  
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)  
CIN : L65110TN2014PLC097792  
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैम्पाई-600031  
फोन - +91 44 4564 4000 | फैक्स - +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्राहिताओं एवं सहऋणग्राहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्वॉट किया (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्राहिताओं एवं सहऋणग्राहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के निरवधी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्ट्स के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये हैं, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एम्पीए वरीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियों उनके ध्येक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचित में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग राशियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण प्रकार	ऋणग्राहिताओं के नाम	संस्थान 13(2) के नोटिस की तिथि	संस्थान 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का जवाब
1	13895045	गृह ऋण	1. सिद्धार्थ पारीक 2. सरला पारीक 3. महेश कुमार पारीक	23.07.2022	13,62,891.28/-	हरियाणवी कुर्चि/प्लॉट नं. ए-एस-2, दूसरी मंजिल, क्षेत्रफल 1175.52 वर्ग फिट, "वकरगोई हाइट्स फर्स्ट", प्लाट नं. एच-87, मंगल सिटी, ग्राम-हथोज, कलवाड़ रोड, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, उक्त पर निर्मित फ्लैट के प्लाट की सीमायें हैं: पूर्व: प्लाट नं. एच-46, पश्चिम: प्लाट नं. एच-88
2	15352622 और 8922331	गृह ऋण और गृह फायनेन्स एवएल	1. विजय सिंह 2. सुनीता देवी	23.07.2022	41,54,172.17/-	नये प्लाट नं. 61-ए (पुराना प्लाट ए-92), स्क्रीम नं. 4-ए, शिव नगर-प्रथम, मुरलीपुरा स्क्रीम, जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें हैं: पूर्व: रोड 30 फिट चौड़ी, पश्चिम: प्लाट नं. 70, उत्तर: प्लाट नं. 61-बी, दक्षिण: प्लाट नं. 61

आपको एवढद्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, उक्त सूचित में दर्शायी राशियों को अपनी-अपनी प्रथम तिथि से, उक्त पर नगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोस्ताक्षरकर्ता को, एवढद्वारा एवढद्वारा ई एच के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, निरवधी रखी सम्पत्तियों के बिक्राने/कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होगा/हसके अलावा उक्त एच के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबन्धित है।

ह./- दिनांक- 25.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी  
स्थान- जयपुर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड  
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)